भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 689

जिसका उत्तर 04 फरवरी, 2021 को दिया जाना है।

.....

हथिनीकुंड लिंक चैनल-2 परियोजना

689. श्री प्रदीप कुमार चौधरी:

क्या **जल शक्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा जल संसाधन विभाग और जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के सहयोग से प्रत्येक राज्य/संघ राज्यक्षेत्र में आरंभ की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में वर्षों से लंबित पड़ी हथिनीकुंड लिंक चैनल-2 परियोजना को आरंभ करने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

जल शक्ति और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री (श्री रतन लाल कटारिया)

(क): जल संसाधनों के विकास तथा प्रबंधन की आयोजना, वित्त पोषण, निष्पादन और रखरखाव राज्य सरकारों द्वारा अपने स्वंय के संसाधनों तथा प्राथमिकताओं के अनुसार स्वंय किया जाता है। राज्य सरकारों के प्रयासों की सहायता करने के लिए, भारत सरकार, विभिन्न स्कीमों तथा कार्यक्रमों के माध्यम से जल संसाधनों के सतत विकास और कुशल प्रबंधन को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकारों का तकनीकी तथा वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

वर्ष 2016-17 के दौरान प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई)-त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) के अंतर्गत 99 जारी वृहद/मध्यम सिंचाई परियोजनाओं, जिनकी कुल सिंचाई क्षमता 76.03 लाख हेक्टेयर है तथा शेष बर्च 77595 करोड़ रूपए की अनुमानित लागत (केंद्रीय सहायता 31342.50 करोड़ रूपए का घट) को राज्यों के साथ परामर्श करके उनके कमान क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंध (सीएडीडब्ल्यूएम) निर्माण कार्यों को चरणों में पूरा करने के लिए प्राथमिकीकृत किया गया है।

इन 99 प्राथमिकता प्राप्त परियोजनाओं में से 44 प्राथमिकता प्राप्त परियोजनाओं के एआईबीपी कार्यों के पूरा होने/लगभग पूरा होने की सूचना है। वर्ष 2016-17 से वर्ष 2019-20 के दौरान इन परियोजनाओं के लिए 11489.31 करोड़ रूपए की केंद्रीय सहायता जारी की गई है। इसके अतिरिक्त, 2020-21 के दौरान (अभी तक) 1082.71 करोड़ रूपए की केंद्रीय सहायता जारी की गई है।

इस समय, सीएडीडब्ल्यूएम कार्यक्रम के अंतर्गत सीएडी कार्यों के लिए-राज्य सरकार विभागों अर्थात कमान क्षेत्र विकास प्राधिकरण, जल संसाधन विभाग, लोक निर्माण विभाग, जन स्वास्थ्य इंजीनियरी विभाग आदि जैसे राज्य सरकारों के विभागों द्वारा कार्यान्वित की गई, 18 राज्यों से 88 परियोजनाएं कार्यान्वयन के अधीन हैं। पीएमकेएसवाई (हर खेत को पानी) के अंतर्गत सतही लघु सिंचाई और जल निकायों की मरम्मत, पुनरूद्धार और बहाली (आरआरआर) के सुनिश्चित सिंचाई के अंतर्गत कृषि योग्य क्षेत्र का विस्तार, जल उपयोग दक्षता में सुधार आदि जैसे अनेक उद्देश्य हैं।

विदर्भ, मराठवाडा और महाराष्ट्र के लगातार सूखा प्रवण क्षेत्रों में कृषि संकट का समाधान करने के लिए 8 प्रमुख और मंझोली सिंचाई परियोजनाओं तथा 83 एसएमआई परियोजनाओं को 13651.60 करोड़ रु. की शेष लागत के साथ पूरा करने हेतु विशेष पैकेज को मंजूरी दी गई है। इन परियोजनाओं के माध्यम से लक्षित अतिरिक्त क्षमता 3.77 लाख हैक्टेयर है। वर्ष 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 (अभी तक) के दौरान सीए के रूप में क्रमशः 500 करोड़ रु., 300 करोड़ रु. और 400 करोड़ रु. जारी किए गए हैं।

भारत सरकार ने जल-जमाव की समस्या का समाधान करने के लि 1976.74 करोड़ रु की कुल लागत पर "सरहिंद फीडर तथा राजस्थान फीडर का संरेखण" का अनुमोदन किया है। पहले जारी किए गए 156 करोड़ रु. के अतिरिक्त सीए घटक 826.17 करोड़ रु. है। भारत सरकार ने "पंजाब राज्य में रावी नदी पर शाहपुर कंडी बांध (राष्ट्रीय योजना) का कार्यान्वयन" को 2715.70 करोड़ रू. की अनुमोदित लागत से मंजूरी दी है। यह परियोजना पंजाब सरकार द्वारा कार्यान्वित की जाएगी। केंद्रीय सहायता घटक 485.38 करोड़ रु. है।

ग्यारहवीं योजना के दौरान, भारत सरकार ने 8000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ बाढ़ प्रबं कार्यक्रम की शुरूआत की। स्कीम के अंतर्गत, संकटग्रस्त क्षेत्रों में नदी प्रबंधन, कटाव रोकने, बाढ़ प्रबंधन कार्यों के नुकसान की पुनर्बहाली, समुद्र कटाव□□□, फ्लड प्रूफिंग इत्यादि कार्य शुरू करने के लिए और क्षतिग्रस्त बाढ़ नियंत्रण/प्रबंधन कार्यों के पुनरूद्धार के लिए राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही थी। बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम को बारहवीं □□□□ □□□□□□ □□ 10,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ जारी रखा गया था। बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान संचालित "बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम" □□ "नदी प्रबंधन कार्यों और सीमा क्षेत्रों से जुड़े कार्यों" को विलय कर दिया □□□ □□□□ 2017-18 □□2019-20 तक की अवधि के लिए "बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम" के रूप में नया नाम दिया गया है और मार्च, 2021 तक आगे बढ़ा दिया गया है।

प्रभावी आयोजना और नीति निर्माण के लिए लघु सिंचाई सेक्टर में एक व्यापक और विश्वसनीय डाटा बेस बनाने के लिए 100 प्रतिशत केंद्रीय वित्तपोषण के साथ एक केंद्र प्रायोजित स्कीम "सिंचाई गणना" राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वित की जाती है। 1987 के बा□ □□□□ □□ सतत स्कीम है। इस स्कीम के अंतर्गत, प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र ने एक नोडल विभाग को चिन्हित किया है जो इस स्कीम के संपूर्ण राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा चिन्हित नोडल विभागों का विवरण ***अनुबंध*** में दिया गया है।

राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (एन□ □□□□□) 16 राज्यों में फैले 77 शहरों में 34 नदियों को शामिल □□□□ □□ जिसमें प्रदूषण कम करने संबंधी स्कीमों की कुल अनुमोदित लागत 5965.90 करोड़ रु. □□

केंद्रीय अंश में से, प्रदूषण कम करने संबंधी स्कीमों और 2522.03 एमएलडी की सीवेज शोधन क्षमता के कार्यान्वयन के लिए राज्यों को अभी तक 2597.89 करोड़ रु. की निधियां जारी की गई हैं।

□□□ □□□ □□□□ (□□□ □□) 6000 करोड़ रु. के परिव्यय के साथ एक केंद्रीय सेक्टर की स्कीम है जिसमें जल की कमी वाले चिन्हित क्षेत्रों में सतत भूजल प्रबंधन हेतु समुदाय भागीदारी और मांग पक्षकारियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। यह स्कीम 7 राज्य अर्थात, □□□□, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के 80 जिलों में 222 ब्लॉकों/तालुकाओं की 9000 ग्राम पंचायतों में 01.04.2020 □□5 वर्षों की अवधि के लिए आरंभ की गई है। गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश में अटल भूजल योजना की कार्यान्वयन एजेंसी संबंधित राज्य का जल संसाधन विभाग □□

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग 02 अक्टूबर, 2014 को आरंभ किए गए राज्य सरकारों के माध्यम से स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) का कार्यान्वयन कर रहा है, जिसका उद्देश्य देश के ग्रामीण क्षेत्रों को 02 अक्टूबर, 2019 तक खुले में शौच करने से मुक्त करना है। देश में सभी गांवों ने 02 अक्टूबर, 2019 तक अपने आप को ओडीएफ घोषित किया है। सरकार ने 2020-21 □□2024-25 □□ □□□□ कार्यान्वित की जाने वाली एसबीएम (जी) के दूसरे चरण को अनुमोदित किया है। ओडीएफ स्तर को बनाए रखने और ठोस तथा तरल अपशिष्ट प्रबंधन के साथ सभी गांवों को शामिल करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग राज्यों से भागीदारी के साथ जल जीवन मिशन-ह□ □□ □□ □□ कार्यान्वयन कर रहा है जिसका उद्देश्य 2024 तक देश के प्रत्येक ग्रामीण घर को टैप जल कनेक्शन के माध्यम से नियमित और दीर्घावधि आधार पर पर्याप्त मात्रा में निर्धारित गुणवत्ता का पेयजल उपलब्ध कराना है।

(ख) से (घ): हथनीकुंड लिंक चैनल की प्राथमिक परियोजना रिपोर्ट (स्तर-2) उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मूल्यांकन के लिए 08.08.2018 के पत्र द्वारा प्रस्तुत की गई थी। इस स्कीम की ऊपरी यमुना नदी बोर्ड में जांच की गई है और उत्तर प्रदेश सरकार को 06.12.2018 के पत्र द्वारा उत्तर प्रदेश के संबंध में यूवाईआरबी के आवंटन के अनुसार अर्थात कुल 10679 क्यूसिक (4000 □□□□□□ □□□ 6679 क्यूसिक ओखला से) जुलाई से अक्टूबर, प्रस्ताव संशोधित करने का अनुरोध किया। इसके अतिरिक्त, दिनांक 10.10.2019 □□ □.□□. पत्र द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार को संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत करने में तेजी लाने का अनुरोध किया गया था।

****

अनुबंध

लोक सभा में "हथिनीकुंड लिंक चैनल-2 परियोजना" विषय के संबंध में दिनांक 04.02.2021 को उत्तर दिए जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 689 में उल्लिखित अनुबंध

"सिंचाई गणना योजना" के लिए राज्य /संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा चिन्हित नोडल विभागों की सूची

क्र.□□	नोडल विभाग का नाम	राज्य/□□ राज्य क्षेत्र की संख्या	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम
1	जल संसाधन विभाग	8	1. अरुणाचल प्रदेश 2. □□□□ 3. □□□□□ 4. □□□□□ 5. सिक्किम 6. नागालैंड 7. मिजोरम 8. पश्चिम बंगाल
2	जल संरक्षण विभाग	1	1. महाराष्ट्र
3	सिंचाई विभाग	2	1. □□□ 2. □□□
4	लघु सिंचाई विभाग	4	1. कर्नाटक 2. मणिपुर 3. उत्तर प्रदेश 4. उत्तराखंड
5	स्वास्थ्य विभाग	1	1. □□□□□ (पब्लिक हेल्थ सर्केल)
6	योजना विभाग	6	1. आंध्र प्रदेश 2. ओडिशा 3. □□□□□ 4. □□□ 5. जम्मू & कश्मीर 6. बिहार
7	कृषि विभाग	3	1. □□□□ 2. अंडमान और निकोबार द्वीप 3. मध्य प्रदेश (किसान कल्याण 3□□ कृषि विकास विभाग)
8	भूमि प्रशासन विभाग	4	1. तमिलनाडु 2. छत्तीसगढ़ 3. हरियाणा 4. हिमाचल प्रदेश
9	लोक निर्माण विभाग	2	1. त्रिपुरा 2. पुदुचेरी
10	राजस्व विभाग	1	1. राजस्थान
11	विकास विभाग (कृषि इकाई)	1	1. दिल्ली

*****